~~दिनांक 28/11/17 [illegible]~~

(पंकज कुमार औझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

28/11/17	वकील अपीलार्थी उपस्थित वकील रेस्पो. को अपील प्रार्थना पत्र की प्रति दी [illegible] गई। बहस अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली बाद निर्णय सुनाने हेतु - दिनांक 12/12/17 को पेश हो। (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अपील पत्र की [illegible] Sandeep Ad. 28/11/201
12/12/17	पत्रावली बाद निर्णय सुनाने हेतु पेश हुई। कार्य की अधिकता के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली बाद निर्णय सुनाने हेतु दिनांक 20/12/17 को पेश हो। (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
20/12/17	पत्रावली बाद निर्णय सुनाने हेतु पेश हुई। पत्रावली पुनः बहस हेतु दिनांक 12/1/18 को पेश हो। [illegible] से बहस [illegible] (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
12/1/18	वकील अपीलार्थी उपस्थित वकील [illegible] बहस सुनी गई। पत्रावली बाद निर्णय सुनाने हेतु ~~दिनांक 16/1/18 को पेश हो~~ (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
16/1/18	पत्रावली बाद निर्णय सुनाने हेतु पेश हुई। अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित [illegible] अधीनस्थ न्यायालय [illegible] दिनांक [illegible] को [illegible] निर्णय पृथक से [illegible] सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय [illegible] दाखिल दफ्तर की जावे।	

(पंकज कुमार औझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 112/2010

कान्ति बाई धर्मपत्नी गणेशराम जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम खजूरना तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामनाथी पुत्री नारायण
2. मोडूलाल आत्मज मांग्या जी ।
3. पुष्पा बाई पुत्री मांग्या जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   3/1. बाबू लाल आत्मज रामकिशन
   3/2. परमानन्द आत्मज रामकिशन
   3/3. नन्दू बाई पुत्री रामकिशन जी
   3/4. भैरी बाई पुत्री रामकिशन जी
4. कन्या बाई पुत्री मांग्या जी ।
5. रामभरोस पुत्र नारायण जी ।
6. नन्दा आत्मज चन्दा जी ।
7. भूरा आत्मज चन्दा जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   7/1. राधाकिशन
   7/2. राजू
   7/3. लाडबाई
8. गणेश राम आत्मज नन्दा जी ।
9. राजस्थान सरकार ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रहलाद मीणा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला, कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम बनियानी तहसील

लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 1030 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में वादिनी के पिता नारायण का 1/2 हिस्सा व शंकरी बेवा चन्दा का 1/2 हिस्सा था । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 1553 रकबा 1.99 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1542 रकबा 1.84 हैक्टर कायम किये हैं । अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी को 1/6 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वादी के 1/6 प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के 1/6 – 1/6 से व शंकरी बेवा चन्दा के 1/2 हिस्से से दर्ज किया जाकर आवश्यक दुरूस्ती की जावे व 1/3 का अंकन हटाया जावे । पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का होल्डिंग विभाजन किया जाकर वादिनी को 1/6 हिस्से की भूमि अलग खाते दर्ज की जावे व अलग से लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वह वादिनी के हिस्से की आराजी में उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2008 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार लाडपुरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2008 से व्यथित होकर अपीलान्ट कान्ति बाई ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी की खातेदार है तथा उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अतः प्रकरण में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का आदेश पारित किया जावे ।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.06.2010 को पटवारी हल्का नोटिस प्राप्त होने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त निर्णय

एवं डिक्री पारित कर दी । प्रस्तुत प्रकरण में मोड़ूलाल, पुष्पाबाई व कन्या बाई द्वारा अपना हिस्सा 1/3 अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.2006 को विक्रय कर कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया तब से ही अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा नामान्तरकरण संख्या 562 दिनांक 05.08.2006 से अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम वर्ष 2006 से खातेदारी में आ चुका है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2009 निरस्त करवाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था जबकि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में वर्ष 2006 से ही खातेदार है । मोड़ूलाल, पुष्पाबाई व कन्या बाई द्वारा अपना हिस्सा 1/3 अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.2006 को विक्रय कर कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया तथा नामान्तरकरण संख्या 562 दिनांक 05.08.2006 से अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम वर्ष 2006 से खातेदारी में आ चुका है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2009 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 12.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा